



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/ चैत्र 6, 1939

No. 858]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.आ. 961(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 11 के उप-विनियम (1), (2), (3) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 05-07-2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2073(अ) के अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा खनन परीक्षा बोर्ड (कोयला) का पुनः गठन करती हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक जो भी बाद में हो, नियुक्त करती हैं, वावत :—

1. मुख्य खान निरीक्षक — अध्यक्ष
(अब खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में नामित होने की तिथि से— पदेन)
2. डॉ. डी. सी. पाणिग्रही, निदेशक, —सदस्य
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनिज विद्यापीठ)
धनबाद, झारखंड— 826004
3. डॉ. सी. एन. घोष —सदस्य
मुख्य वैज्ञानिक (केन्द्रीय खनन एवं इंधन संस्थान)
धनबाद, झारखंड — 826015
4. श्री ए. के. सिंह, निदेशक (तकनीकी), पी एंड पी, —सदस्य
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
संकटोरिया, पी. ओ.— दिसेरगढ़
वर्दमान, पश्चिम बंगाल— 713333
5. श्री पी. के. सिन्हा, निदेशक (तकनीकी), पी एंड पी, —सदस्य
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पोस्ट बॉक्स — 60 एस.ई.सी.एल. भवन, श्रीपत रोड
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ — 495006

6. श्री ओ. पी. सिंहनिदेशक, (तकनीकी), पी एंड पी, —सदस्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,
जागृति विहार, बुरला,
संबलपुर, उड़ीसा— 768020

[फा. सं. एस-66012/1/2017-आई.एस.एच.-II]

हीरालाल सांवरिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2017

S.O. 961(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Regulations (1), (2), (3) and (4) of Regulation 11 of the Coal Mines Regulations, 1957, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment number S.O. 2073(E), dated 05-07-2013, the Central Government hereby re-constitutes the Board of Mining Examinations (Coal) and appoints the following persons as members of the Board for a period of three years or till their successor is appointed whichever is later, from the date of publication of this notification, namely :—

1. Chief Inspector of Mines — Chairman
(Since designated as Director General of Mines Safety) -ex-officio
2. Dr. D. C. Panigrahi, Director, IIT, (ISM), — Member
Dhanbad-826004, Jharkhand
3. Dr. C.N. Ghosh, Chief Scientist (CIMFR), — Member
Dhanbad-826015, Jharkhand
4. Shri A. K. Singh, Director (Technical), P&P — Member
Eastern Coalfields Limited
Sanctoria, P.O Disergarh
Burdwan, W. Bengal-713333
5. Shri P. K. Sinha, Director (Technical), P&P — Member
South Eastern Coalfields Limited
Post Box-60, SECL Bhawan, Seepat Road,
Bilaspur, C.G-495006
6. Shri O. P. Singh, Director (Technical), P&P — Member
Mahanadi Coalfields Limited
Jagruti Vihar, Burla
Sambalpur-768020, Odissa

[F. No. S-66012/1/2017-ISH-II]

HEERALAL SAMARIYA, Addl. Secy.